

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 47 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ए.डी.बी. ,लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ए.डी.बी. ,लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर के माह 08/2016 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री अक्षय कुमार सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27/08/2018 से 06/09/2018 तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा सर्व श्री राजेश ... एवं श्री आर० के० श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 22/08/2016 से 02/09/2016 तक श्रीवरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह 08/2011 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय लाख	आवंटन	व्यय	स्थापना		गैर स्थापना	
							आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (+)
2016-17	-	-	69.93	69.93	9408.65	6611.36	-	-	-	-
2017-18	-	-	102.61	102.61	8375.10	8375.10	-	-	-	-
2018-19	-	-	89.95	60.27	805.01	536.00	-	-	-	298.61

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई का बजट आवंटनद्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियंता

अधीक्षण अभियंता

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ए.डी.बी. ,लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिसासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ए.डी.बी. ,लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया ।का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयनके आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक से तक निरीक्षण किया गया।
2. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह तथा तक की गई।

3. फार्म 51: माह 07/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:- (धनराशि रु मे)।

भाग प्रथम ... शून्य

भाग द्वितीय शून्य

4. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह के अन्त में (धनराशि रु मे)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 1285240.00

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप ` 9638464.00

(ङ) भण्डार शून्य

भाग दो 'अ'

प्रस्तर 1- ₹ 1.80 करोड़ का परिहार्य एवं ₹ 16.79 लाख का अनियमित व्यय

Indian Road Congress (IRC-SP-20-2002, Special Publication), meant for Indian Rural Roads, stipulates the following provisions:

Clause 2.2 provides that the rural roads in India are commonly referred to Other District Road (ODR) and Village Road (VR). Clause 5.3.1 which is regarding laying extra sub grade provides that when the CBR of the sub grade is less than 2 percent, a capping layer of 100mm thickness of material with minimum CBR 10 percent is to be provided in addition to the sub-base required for CBR of 2 percent, that is no extra sub grade is required if CBR is more than or equal to 2 percent. Further, Clause 5.4.1 provides that the thickness of pavement is designed on the basis of projected number of commercial vehicles for the design life using the current commercial vehicles per day (CVPD) and its growth rate. Further, it requires the sub grade strength value in terms of CBR. It is expected that rural roads will not have more than 450 CVPD.

उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवे 1 कार्यक्रम के तृतीय चरण (USRIP-3) के अन्तर्गत, पैकेज-1 के अन्तर्गत कुल 11 मोटर मार्ग स्वीकृत थे, इन 11 मोटर मार्गों की कंसलटेंट द्वारा गलत CBR गणना करने के कारण एवं इस प्रकार कार्य प्रारम्भ करने के उपरांत CBR value में भिन्नता पाये जाने के कारण (5% की बजाय 2%), कार्य के पुनरीक्षित डिजाईन के कारण लागत में वृद्धि होने से अनुबंधित लागत में कार्य पूरण ना हो सकने के कारण 11 में से चार मार्गों² को हटा कर सात मार्गों पर कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया। पुनः, इन अवशेष सात मार्गों में शामिल अन्य चार मार्ग³ (कुल स्वीकृत लम्बाई 33.90 कि०मी०) जो उक्त नियमों के अनुसार ग्रामीण मार्ग होने की सभी शर्तें पूरी करते हैं हेतु शासन द्वारा ₹63.82. करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (जून 2017)। कार्यों की तकनीकी स्वीकृति PD/PMU/ADB द्वारा समान धनराशि की प्रदान की गई थी (9/2017)। पैकेज 1 के अन्तर्गत इन चार ग्रामीण मार्गों सहित सभी सात मार्ग निर्माण हेतु ठेकेदार मै० ZEL-CDS (JV) के साथ ₹109.39 करोड़ की लागत से अनुबंध गठित किया गया था। वर्तमान में सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

अभिलेखों के जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित प्रश्नगत सभी चारों मार्ग यथा- *Rampur kazi to BeriaDaulat road, Bajpur-Inspection House to Pipaliya Road, Hawana Biraha to Bhikyahenchakarpur*, एवं *Raheta to Singhiale Road* की CVPD क्रमशः 277, 133, 347 एवं 17 (साथ ही MSA क्रमश 5, 3, 7 एवं 1 था एवं सभी की CBR value 2 प्रतिशत या उससे कम थी), था जो की ग्रामीण मार्गों के वर्गीकरण हेतु निर्धारित 450 CVPD से कम होने के कारण उक्त मार्गों को ना केवल IRC-SP-20-2002 के specification के

¹ *Rampur kazi to BeriaDaulat road, Bajpur-Inspection House to Pipaliya Road, Hawana Biraha to Bhikyahenchakarpur, Raheta to Singhiale, Bajpur to Beriya Daulat Marg, Bejhkheri to Inaamkarakajpura, Keshowala to Belpadav road, kashipur Dhakiya to kharsama, Jatipur- Bharkhiri, Jaspur-Khaliyawala and Bajpur-Jang pura motor maarg*

² *kashipur Dhakiya to kharsama, Jatipur- Bharkhiri, Jaspur-Khaliyawala Bajpur-Jang pura motor maarg*

³ *Rampur kazi to BeriaDaulat road, Bajpur-Inspection House to Pipaliya Road, Hawana Biraha to Bhikyahenchakarpur and Raheta to Singhiale*

अनुसार ग्रामीण मार्गों के रूप में वर्गीकृत होने की शर्तों को पूरा करती है बल्कि विभागीय अभिलेख में भी उक्त चारों मार्ग ग्रामीण मार्ग के रूप में दर्ज थे। इनका निर्माण कार्य IRC-SP-20-2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था, परन्तु पाया यह गया कि मार्गों की **crust designing** में IRC-SP-20-2002 (ग्रामीण मार्ग) को **follow** न करके IRC-37-2001 को **follow** किया गया था और उसी के अनुसार **pavement (flexible)** की **designing** की गयी थी जिसके कारण मार्ग के प्राकल्पन में अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई थी और फलतः मार्ग के निर्माण पर अधिक व्यय करना पड़ा था। आगे जांच में पाया गया कि **ग्रामीण मार्गों हेतु निर्धारित CVPD** के आलोक में ये चारों मार्ग पूर्णतः **Rural Road** होने और इनकी सीबीआर 2 प्रतिशत से कम रहने के कारण IRC-SP-20-2002 के उक्त नियम के अनुसार इन चार मार्गों पर **Capping Layer in the form of RBM** को केवल **100mm** की **thickness** में **lay** किया जाना चाहिए था जबकि नियमों के विपरीत **150mm** की **thickness** में **lay** किया गया। परिणामस्वरूप, **50 mm** अधिक **thickness** में **RBM** को **lay** किए जाने से ₹ **1.80** करोड़ (संलग्न विवरण के अनुसार) अधिक राशि व्यय करनी पड़ी जिसे **avoid** किया जाना चाहिए था।

आगे जांच में यह पाया गया कि प्रश्नगत चार मार्गों में से तीन मार्गों के कार्यों के बिल के साथ संलग्न **measurement sheet** के अनुसार तीन मार्गों पर **RBM** की कुल मात्रा **110015.48 lay** की गयी थी जबकि कुल **111608.76 cum** मात्रा अर्थात् **1593.28 cum** अधिक मात्रा के सापेक्ष ₹**1054/-** की दर से ₹**16.79** लाख अधिक भुगतान किया गया था जो कि अनियमित था, साथ ही खंड द्वारा मार्गों पर **lay** की गयी **RBM/GSB** की **layers** को माप पुस्तिका में अलग अलग माप ले कर दर्ज नहीं की गयी थी, एक ही साथ दर्ज की गयी थी जो नियमों के विपरीत था।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खंड ने उत्तर में बताया कि **IRC:SP -20 -2002 Rural Roads Manual** निर्माण से सम्बंधित है जिसकी सहायता से ग्रामीण मार्गों के डिजाईन लिए जाते हैं, **IRC-37-2001** के **clause2.1** के अनुसार **-These guidelines will apply to design of the flexible pavements to expressways National highways, state highways, Major districts roads, and other category roads predominantly carrying motorized vehicles.** **IRC-37-2001** हर प्रकार के **roads** के लिए लागू है। सम्प्रेक्षा द्वारा वर्णित मोटर मार्ग उधम सिंह नगर जिले में है यह खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है जिससे भारी वाहनों का आवागमन लगातार सा रहता है। अपर मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में उक्त मार्ग खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण **IRC-37-2001** का प्रावधान किया गया। खंड द्वारा आगे बताया गया कि **IRC-37-2001** के क्लॉज़ **4.2.1.5** के अनुसार प्रावधान किया

गया अतः 50 mm अधिक मोटाई के कारण व्यय परिहार्य व्यय नहीं है। RBM के लिए माप से अधिक भुगतान के सम्बन्ध में पूछे जाने पर खंड द्वारा बताया कि कार्यस्थल पर वास्तविक मापों के अनुसार भुगतान किया गया

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि :

- इन मार्गों के लिए **applicable IRC-SP-20-2002 के specifications** के अनुसार कार्य नहीं कराये जाने के कारण 50 mm अधिक **thickness** में RBM को lay किए जाने से ₹1.80 करोड़ की अधिक राशि व्यय करनी पड़ी थी जिसे **avoid** किया जाना चाहिए था, क्योंकि profile corrective course के रूप में भी खंड द्वारा इन चारों मार्गों पर औसत रूप से 93 mm की एक अलग लेयर मार्गों का बिना प्रोफाइल सर्वे किये lay की गयी थी

- खण्ड का यह कहना कि प्रश्नगत मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन रहता है, तथ्यों व आकड़ों के आधार पर नहीं है क्योंकि यह उक्त मार्गों के traffic census/MSA में परिलक्षित नहीं होता, MSA 1-7 के बीच है जिस पर IRC : SP-20-2002 के आधार पर निर्माण किया जाना लागू होता है।

- विभाग के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत सड़क का निर्माण CBR Value, IRC Specifications व Traffic Census को ध्यान में रखकर किया जाना था। यही बात अपर मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में तय किया गया था।

- RBM की माप के संबंध में खण्ड का उत्तर भी मान्य नहीं है क्योंकि वास्तविक माप लेकर माप-शीट में दर्ज की जाती है जो संबंधित Resident Engineer के द्वारा सत्यापित भी है। उक्त माप-शीट के आधार पर ही ठेकेदार का बिल तैयार व भुगतान किया जाता है, उक्त मानक व मान्य प्रक्रिया के विपरीत किया गया भुगतान रु 23.47 लाख अधिक एवं अनियमित है।

अतः रु 1.80 करोड़ का परिहार्य एवं रु 23.43 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है

**Details of Up-to-date & excess quantity of capping layer executed by the ADB Division,PWD,
Rudrapur on the four rural roads and excess expenditure**

Sl No.	Name of roads	Quantity executed as per IRC-37 (150 mm)	Quantity to be executed as per IRC-20:2002 (100 mm)	Excess/Difference (50 mm)	Rate @ ₹	Value of the executed excess quantity / thickness of capping layer
1	Hawana Birha	11744.160	7829.44	3914.72	1054/-	4126114.88
2	Rampura Kazi to Beria Daulat	17962.182	11974.788	5987.39	1054/-	6310713.276
3	Bajpur Inspection House to Pipliya	13713.897	9142.598	4571.299	1054/-	4818149.146
4	Raheta --Sinhali	7885.044	5256.696	2628.34	1054/-	2770278.79
			Total			18025256.094 Say ₹ 1.80 crore

भाग-2 'अ'

प्रस्तर- 2 : रु 40.95 लाख के राजस्व की हानि।

(खंड द्वारा ठेकेदार से गलत e-form 'J' के स्वीकार कर रायल्टी ठेकेदार को जारी करने के कारण)

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 9 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) यह प्राविधानित करता है कि विभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर, बिना किसी विलंब के शासकीय खाते में डाली जाए।

उत्तराखंड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग -1 की अभिसूचना संख्या 1578/VII-1/158-ख/04 टीसी-II दिनांक: 30 सितम्बर 2016 के अनुसार खनिजों के अभिवहन हेतु ई-रवन्ना पद्धति लागू की गयी। किसके अनुसार राजस्व प्राप्ति के नियमित अनुश्रवण हेतु शासन द्वारा खनन से उपखनिजों के राज्य क्षेत्रांतर्गत अभिवहन हेतु **e-form MM-11** एवं **भंडारण /क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लॉट से खनिजों के विधिपूर्ण परिवहन/अभिवहन हेतु e-form 'J'** का निर्धारण किया गया है

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या.842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अधिसूचना के अनुसार उपखनिजों (बालू, मोरम, बाजरी तथा बोल्टर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) पर रायल्टी प्रतिस्थापित /संशोधित दरो 176 प्रति घनमीटर से कटौती की जाएगी ।

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ए०डी०बी०), रुद्रपुर के देयकों /अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2018) में पाया गया कि खंड द्वारा जनपद उधम सिंह नगर के अंतर्गत मसीत - सैकेनिया मोटर मार्ग (चेनेज 0.00 किमी. से 5.370 किमी.), गदरपुर - गदरभोज मोटर मार्ग (चेनेज 0.00 किमी. से 9.575किमी.), गुलारभोज - रोशनपुर मोटर मार्ग (चेनेज 0.00 किमी. से 5.327 किमी.), के कार्य हेतु दिनांक: 18 मार्च 2017 को M/s Woodhill Infrastructure Ltd. के साथ Addendum No.1 का गठन किया गया। किसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 18 मार्च 2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 30 नवम्बर 2017 थी। उक्त कार्यों के अंतर्गत प्रयुक्त रेत, बाजरी एवं मोरम आदि के उपयोग पर खण्ड द्वारा M/s Woodhill Infrastructure Limited से रायल्टी के रूप में कुल धनराशि रु 13797936.00 की (IPC-5 के अनुसार) की कटौती कर नियमानुसार यथाशीघ्र राजस्व में जमा किया जाना था, जिसकी सस्तुति Consultant द्वारा भी की गई थी। किन्तु अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा उक्त धनराशि की कटौती कर निक्षेप के रूप में रखा गया तथा खंड के निक्षेप से

संबन्धित अभिलेखो (प्रपत्र-79 शिड्यूल ऑफ डिपोजिट एवं निक्षेप पंजिका) में भी उक्त धनराशि को अतिथि तक अंकित नहीं किया गया। इसके पश्चात माह 08/2018 को उक्त धनराशि में से रु. 11037004.00 की धनराशि e form -J प्रस्तुत करने पर ठेकेदार को जारी कर दी गयी, जिनकी नमूना जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा खण्ड में प्रस्तुत किए गये e- form J में से **23271.43 Cum⁴** खनिजों का परिवहन रामनगर Quarry से Dwarahat/Machhali आदि (अन्य कार्य स्थल अल्मोड़ा) के लिए किया गया था। जो कि गदरपुर/गुलरभोज आदि (कार्यस्थल उधम सिंह नगर) के लिए मान्य नहीं है तथा समस्त form-J जारी होने के आगामी कार्य दिवस लगभग 24 घण्टे) तक की अवधि के लिए ही जारी किए गए थे। उक्त e- form J कार्यस्थल मसीत, गुलरभोज, गदरपुर (जोकि जनपद उधम सिंह नगर में है) के सापेक्ष प्रस्तुत कर ठेकेदार को खंड द्वारा रायल्टी का लाभ दिया जाना विधि संवत नहीं है। खण्ड द्वारा ठेकेदार को अभिलेखों की बिना जांच के ही अवैध रूप से रु 4095771.68⁵ का भुगतान किया जाना गम्भीर अनियमितता है। जिसके कारण शासन को रु 40.95 लाख के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा अवशेष धनराशि रु **2760932.00** (13797936.00-11037004.00) के सापेक्ष भी कोई form-J/ रवन्ना प्रस्तुत न किए जाने के बावजूद भी खण्ड द्वारा धनराशि को लेखापरीक्षा तिथि तक भी राजस्व में जमा नहीं किया गया। जो कि खंड के अधिकारियों/कर्मचारियों की शासकीय राजस्व के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत form J बहुत अधिक मात्र में प्राप्त होने के कारण ठेकेदार से शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद ही उक्त धनराशि ठेकेदार को जारी की गयी। ठेकेदार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी तथा रु 27.60 लाख राजस्व में जमा न किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा पूर्व में Dispute Board द्वारा ZEL CDS JV के पक्ष में दिये गए निर्णय के आधार पर रायल्टी की दरों में सुधार हेतु पत्राचार किया जा रहा है। उक्त पत्रों के क्रम में उच्चाधिकारियों द्वारा दिये आदेशों के क्रम में कार्यवाही कर ली जायेगी।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है कि खण्ड के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा शासकीय राजस्व की धनराशि ` **40.95 लाख** को ठेकेदार को जारी करने से पूर्व ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत e form - J/अभिलेखों की भली भाँति जांच की जानी चाहिए थी। ठेकेदार द्वारा केवल 24 फाइलें में e

⁴ **23271.43 Cum** (File no. 8,9,10,11,18,19,20,21,22,23,24)

⁵ 23271.43*176= **Rs. 4095771.68** (@ Rs.176 per cum)

form -J प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें से 11 फाइलों में गलत e form -J प्रस्तुत किए गए थे। जिनकी जांच नहीं की गयी, जो खण्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों की सरकारी कार्य एवं शासन को प्राप्त राजस्व के प्रति उदाशीलता एवं गम्भीर लापरवाही को दर्शाता है। जहाँ तक बहुत अधिक मात्रा में Form-J प्राप्त होने पर ठेकेदार से शपथ पत्र प्राप्त करने की बात है इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। यदि शपथ पत्र से ही काम चल जाना था तो Form-J लेने की क्या आवश्यकता थी? यदि Form-J लिया भी जो उक्त कार्य से संबंधित नहीं था, तो उसका क्या औचित्य है यदि जाँच का समय या स्वीकृत मानशक्ति की कमी थी तो इस संबंध में भी खण्ड द्वारा कोई तथ्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि रायल्टी की वसूली व जमा करने में गम्भीर लापरवाही बरती गयी, जिससे राज्य सरकार उसके जारी शासनादेश का अनुपालन न करने के कारण रु 40.95 लाख की हानि हुई। जहाँ तक उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में कार्यवाही किये जाने का संबंध है। उसके क्रम में राज्य सरकार का राँयल्टी के संबंध में शासनादेश स्पष्ट व बाध्यकारी है, अन्य अधिकारियों के आदेश इस सम्बंध में लागू नहीं हैं। साथ ही रु 27.60 लाख राजस्व में जमा न करने के पक्ष में दिया गया उत्तर भी लेखापरीक्षा में मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्यो हेतु M/s Woodhill Infrastructure Ltd. के साथ Addendum No.1 का गठन दिनांक: 18 मार्च 2017 को किया गया। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 18 मार्च 2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 30 नवम्बर 2017 थी, जबकि रायल्टी की संशोधित दरे दिनांक 19 मई 2016 से लागू है। न ही खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा मागे जाने पर ठेकेदार का कोई पत्र/अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कराया गया, जिससे संबन्धित ठेकेदार द्वारा रायल्टी की दरो को संशोधन करने के अनुरोध की पुष्टि हो सके तथा उक्त कार्य भी समाप्त कर ठेकेदार को दिनांक: 30.12.2017 को Completion Certificate जारी किए जा चुके थे। अतः दिनांक: 30.12.2017 को ठेकेदार को संबन्धित सड़को के Completion Certificate जारी किए जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा तिथि तक राँयल्टी की धनराशि को राजस्व में जमा न किया जाना, बिना जांच के ठेकेदार को रु **40.95 लाख** की शासकीय धनराशि जारी किया जाना तथा खण्ड द्वारा उक्त धनराशि की कटौती कर निक्षेप के रूप में रखकर निक्षेप से संबन्धित अभिलेखो प्रपत्र-79 शिड्यूल ऑफ डिपोजिट (महालेखाकर/लेखा. एवं हक. को मासिक लेखे के साथ प्रेषित) एवं निक्षेप पंजिका में अंकित न किया जाना गम्भीर अनियमितता का धोतक है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'अ'

प्रस्तर- 3: शासन को रु० 3.22 करोड़ के राजस्व (रायल्टी) की हानि।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 9 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) यह प्राविधानित करता है कि विभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर, बिना किसी विलंब के शासकीय खाते में डाली जाए।

उत्तराखंड शासन, अधौगिक विकास अनुभाग -1 की अभिसूचना संख्या 1578/VII-1/158-ख/04 टीसी-II दिनांक: 30 सितम्बर 2016 के अनुसार खनिजों के अभिवहन हेतु ई-रवन्ना पद्धति लागू की गयी। किसके अनुसार राजस्व प्राप्ति के नियमित अनुश्रवण हेतु शासन द्वारा खनन से उपखनिजों के राज्य क्षेत्रांतर्गत अभिवहन हेतु **e-form MM-11** एवं भंडारण /क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लांट से खनिजों के विधिपूर्ण परिवहन/अभिवहन हेतु **e-form 'J'** का निर्धारण किया गया है

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या.842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अधिसूचना के अनुसार उपखनिजों (बालू, मोरम, बाजरी तथा बोल्टर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) पर रायल्टी प्रतिस्थापित /संशोधित दरो 176 प्रति घनमीटर से कटौती की जाएगी।

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड (एंडी०बी०), रुद्रपुर के देयकों /अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2018) में पाया गया कि खण्ड द्वारा Consultant द्वारा की सस्तुति के बावजूद निम्न विवरणुसार निर्माण एजेंसी/ ठेकेदारों के देयकों/IPC से रायल्टी की कटौती कर राजस्व में जमा न कर निक्षेप में रखी जा रही थी तथा खंड के निक्षेप से संबन्धित अभिलेखों (प्रपत्र-79 शिड्यूल ऑफ डिपोजिट एवं निक्षेप पंजिका) में भी उक्त धनराशि को अंकित नहीं किया गया। जिसको नियमानुसार यथाशीघ्र राजस्व में जमा किया जाना था।

क्रं स	ठेकेदार का नाम	बिल/ वाउचर/IPC संख्या	माह	देयक/IPC के अनुसार राजस्व में जमा की जाने वाली रायल्टी (रु)	खंड द्वारा कटौती कर जमा की गयी रायल्टी (रु)	अवशेष कटौती कर राजस्व में जमा की जाने वाली रायल्टी (रु)
1	PRI Projecets & Infrastructure Ltd.	06	03/2018	4929096.80	0.00	4929096.80
2	Woodhill Infrastructure limited	05	03/2018	13797936.00	0.00	13797936.00

3	R G Buildwell Engineers Ltd.	04	03/2018	5773752.00	0.00	5773752.00
4	ZEL CDS JV	36	02/2018	4687919.00	0.00	4687919.00
5	ZEL CDS JV	37	03/2018	3051574.00	0.00	3051574.00
Total				32240278.00	0.00	32240278.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया कि ZEL CDS JV से पूर्व में ₹ 91532375.00 की रायल्टी काटकर राजस्व में जमा कर दी गयी थी। उक्त फर्म द्वारा मामले को Dispute Board में चेलेंज किया गया था। Dispute Board द्वारा ZEL CDS JV के पक्ष में ₹ 35906373.00 और उस पर ब्याज वापस करने हेतु निर्णय दिये गए हैं। उक्त निर्णय को उचित ठहराते हुए अनु सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा भी आदेश पारित किया गया तथा खंड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मार्च में समय अभाव के कारण ठेकेदारों से रवन्ने प्रपत्र प्राप्त कर उनकी जांच सम्भव नहीं थी। अतः रायल्टी रवन्नो की प्राप्ति एवं जांच की प्रतीक्षा में रायल्टी की कटौती कर निक्षेप मद में जमा कर लिया गया ताकि पुनः किसी विवाद से बचा जा सके। रवन्नो प्रपत्रों की प्राप्ति एवं जांच के बाद नियमानुसार कार्यवाही कर ली जायेगी।

खंड का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं था क्योंकि खण्ड द्वारा लेखा-परीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त उप खनिज पर देय रायल्टी राजस्व में जमा नहीं की गई तथा उक्त से संबन्धित समस्त कार्य वर्ष 2017 में ही पूर्ण किए जा चुके हैं तथा खण्ड द्वारा अधिकांश ठेकेदारों को माह दिसम्बर 2017 को Completion Certificate भी जारी किए जा चुके हैं। साथ ही R G Buildwell Engineers Ltd., PRI Projecets & Infrastructure Ltd से संबन्धित ठेकेदारों द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक भी कोई अभिलेख form-J/रवन्ना खंड को प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं ना ही रायल्टी के संबंध में कोई दावा किया गया था। Woodhill Infrastructure limited द्वारा form-J खण्ड में प्रस्तुत करने पर खण्ड द्वारा ₹. 11037004.00 की धनराशि जारी कर दी गयी, जिसमें से भी ₹ 40.95 लाख के form-J गलत थे तथा ₹. 27.60 लाख हेतु Woodhill Infrastructure limited द्वारा खण्ड में लेखापरीक्षा तिथि तक कोई भी form-J प्रस्तुत नहीं किया गया था। जिसको खंड द्वारा यथाशीघ्र राजस्व में जमा किया जाना चाहिए था। उक्त संबन्धित पार्टियों में यह विवाद हो सकता है कि किसे कितनी-कितनी रायल्टी देनी है, परंतु रायल्टी दरे जो शासनादेश द्वारा निर्धारित की गयी है, उससे कम रायल्टी राजस्व में जमा नहीं की जा सकती। जहाँ तक Dispute Board द्वारा दिये गये निर्णय की बात है उसने

शासन द्वारा निर्धारित रायल्टी को जमा न करने की बात नहीं कही है। उसने ठेकेदार के संबंध में कहा है कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार जो दर तय थी अर्थात् रू 90 प्रति घनमीटर ठेकेदार द्वारा दिया जाना है। अंतरीय रायल्टी दर **ADB** द्वारा अनुबंध की शर्तों व **price variation** के अन्तर्गत ठेकेदार को दिया जाना था, जो ठेकेदार से रायल्टी के रूप में खण्ड द्वारा काटकर जमा किया जाना था। यही बात अनु सचिव द्वारा भी कही गयी कि ठेकेदार को रू 90 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी देना प्रतीत होता है जो खण्ड द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्णय आदेश नहीं दिया गया था साथ ही उस आदेश में यह तो कही भी नहीं कहा गया कि रायल्टी के संबंध में जारी शासनादेश का अनुपालन नहीं करना है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'अ'

प्रस्तर- 4 : ₹0 54.12 लाख का व्ययाधिक्य ।

IRC: 37-2001 के अनुसार यदि CBR 2% है तथा Cumulative Traffic (msa)¹ है तो Pavement Design Composition के अन्तर्गत Bitumen's surfacing के अन्तर्गत Wearing Course 20 mm PC तथा Binder Course nil का प्रावधान है ।

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड (ए. डी. बी.), लो0नि0वि0, रुद्रपुर, के अभिलेखों के लेखा-परीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि, रेहटा सिंहाली मोटरमार्ग 5.813 कि0मी0 पैकेज सी0-1 एवं गुलरभोज से रोशनपुर मोटरमार्ग (5.327 कि0मी0) पैकेज सी0-2 का पुन निर्माण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य के दोनो सड़कों का Pavement Design IRC: 37-2001 के आधार पर तैयार व बनाये जाने का प्रावधान था उक्त Design Consultant SMEC द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार उक्त दोनों सड़कों का CBR 2% व msa 1 था। परन्तु IRC: 37-2001 के Pavement Design के विपरीत गुलरभोज-रोशनपुर मोटरमार्ग के DPR के अन्तर्गत Detail of Measurement में DBM- 50 mm तथा SDBC-25 mm का प्रावधान किया गया व तदनानुसार निर्माण कार्य कार्यन्वित किया गया इसी प्रकार रेहटासिंहाली मोटर मार्ग में SDBC- 25 mm का प्रावधान किया गया व कार्यान्वयन किया गया ।

गुलरभोज-रोशनपुर मोटरमार्ग में DBM (50 mm) मात्रा 443.381 Cum @ 8,300/- की दर से ` 36,80,062.30 का भुगतान किया गया है जबकि SDBC (25mm), 513.29 cum @ 9,000/- की दर से ` 46,19,619 का भुगतान किया गया है जबकि ₹0 178.30 Sqm की दर से 3.75m X 5,372 m पर PC का व्यय ` 35,91,853.50 आयेगा इस प्रकार PC के स्थान पर DBM व SDBC करने से ` 47,07,827.80 (36,80,062.30 + 46,19,619 - 35,91,853.50) को व्ययाधिक्य हुआ ।

इस प्रकार रेहटासिंहाली मोटर पर SDBC (25mm), मार्ग पर 527.749 Cum / 8,700 / - की दर से ` 45,91,416.30 का भुगतान किया गया जबकि ₹0 178.30 Sqm की दर से 3.75m X 5,814m पर PC का व्यय ` 38,87,385.75 आयेगा। इस प्रकार PC के स्थान पर SDBC कराने से ` 7,04,030.55 (45,91,416.30 - 38,87,385.75) का व्ययाधिक्य हुआ ।

पैकेज सी0-1 व सी0-2 मार्गों की DPR में मार्गों के MSA एवं CBR value के आधार पर IRC: 37-2001 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये सुदृढीकरण किया जाना था जबकि प्रश्नगत 2 मार्गों पर IRC: 37-2001 के प्रावधानों के विपरीत कार्य किया गया। इस कारण ₹0 54,11,858.35 (47,07,827.80 + 7,04,030.55) का व्ययाधिक्य हुआ ।

खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि प्रस्तर वर्णित भागों में IRC : 37/2012 के आधार पर 50 MM तथा SDBC 25 MM का प्राविधान किया गया है ।

मार्ग का विवरण निम्न प्रकार है ।

A. रेहटा-सिंघाली मोटरमार्ग विकास खण्ड बाजपुर

B. गुलरभोज—रौशनपुरा मोटरमार्ग विकास खण्ड गदरपुर

इन मार्गों पर PC with Seal cote को दर 178.30 प्रति वर्गमी० है।

समप्रेक्षा द्वारा PC की दरें 143.60 प्रति वर्गमी० की दर से PC की मात्रा की गणना की गई है। जबकि PC with Seal cote की दरें बिन्दु सं० 2 के आधार पर 178.30 प्रति वर्गमी० है। अतः सम्प्रेक्षा द्वारा विभिन्नता के लागत के विवरण की गणना SOR के आधार पर नहीं है।

पूर्व वर्णित रैहटा—सिंघाली मोटरमार्ग एवं गुलरभेज—रौशनपुरा मोटरमार्ग जनपद उधम सिंह नगर के औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों को जोड़ता है। इन मोटर मार्ग पर अत्यधिक यातायात का घनत्व है। अवगत कराना है कि दिनांक 30.01.2015 को अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में ए०डी०बी० की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी। जिसके कार्यवृत्ति में उल्लेख है कि जिन मार्गों पर सुधार कार्य किया जाना है उन पर अत्यधिक Mining Activity होती है। यहाँ स्थानीय नदियों से भारीमात्रा में खनन किया जाता है तथा अनेक स्टोन केशर लगे हैं। अतः कार्यों में ओवर लोडिंग व्यवसायिक वाहन तथा Multi action trollies का परिचालन होता है। अतः इन मार्गों पर वास्तविक CBR लगभग 2.0 के आधार पर Consultant द्वारा revised design प्रेषित किया गया। revised design के अनुसार DBM 50 MM का प्राविधान लिया गया है और इसकी तकनीकी स्वीकृति में प्राविधान ले लिया गया था। अतः उक्त से स्पष्ट है कि इन मार्गों के औद्योगिक क्षेत्रों में होने के कारण IRC : 37/2012 के आधार पर सलाहाकार द्वारा Design की गई जिसमें DBM 50 MM तथा SDBC 25 MM का प्राविधान था। यह भी अवगत कराना है कि termination से पूर्व इन मार्गों पर MS MBL Infrastructure Ltd. द्वारा SDBC 25 MM का प्राविधान था। अतः इन मार्गों पर IRC के मानकों के आधार पर ही कार्य कराया गया है एवं कोई अनियमितता नहीं हुई है।

खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रश्नगत दोनों सड़कों का CBR 2% व msa 1 था इस प्रकार व्यवसायिक वाहन का आधार देना गलत है क्योंकि उसे सम्मिलित करके msa की गणना की जाती है। जहां तक IRC : 37/2012 के आधार की बात है उक्त नियम msa-2 से ऊपर एवं CBR-3% से लागू होती है साथ ही उक्त सड़कों पर IRC: 37-2001 के विपरीत जो DBM व SDBC का कार्य किया गया था, से सम्बन्धित आदेश एवं discussion कार्यवृत्त की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गई थी। जहां तक PC की दर रु. 178.30 प्रति वर्ग मी. है उसी दर से गणना कर व्ययाधिक्य की गणना की गई है।

अतः रु० 54.12 लाख का व्ययाधिक्य का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर: 1— ₹ 45.10 लाख का परिहार्य व्यय

IRC : 37-2001 recommends to lay 250 mm WMM thick layer as base coarse and 460 mm GSB layer against the CBR value two or less than two and 10 MSA calculated for strengthening of the road.

Rule 21 of General Financial Rules (Standards of financial propriety) provides that every officer incurring or authorizing expenditure from public moneys should be guided by high standards of financial propriety. Every officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public moneys as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money. (ii) The expenditure should not be prima facie more than the occasion demands.

उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के तृतीय चरण (USRIP-3) के अन्तर्गत सरदारनगर-बन्नाखेड़ा मोटर मार्ग (26.881 कि०मी०) हेतु की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ₹ 6204.55 लाख की प्रदान की गई थी (06/2017)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति PD/PMU/ADB द्वारा समान धनराशि की प्रदान की गई थी (09/2017)। मार्ग पर निर्माण कार्य हेतु (पैकेज सी०-2 के अन्तर्गत) M/s M.B.L. Infrastructures Ltd. के साथ अनुबन्ध गठित किया था परन्तु अनुबन्ध निरस्तीकरण के कारण Addendum के रूप में पैकेज सी०-1 के अन्तर्गत ठेकेदार M/s ZEL- CDS (JV) के द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका था एवं कार्य पर ₹ 38.92 लाख का व्यय किया गया था।

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, ए०डी०बी०, रूद्रपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि खण्ड के अधीन करवाये जा रहे ए०डी०बी० के अन्तर्गत निर्माण कार्य सरदारनगर-बन्नाखेड़ा मोटर मार्ग के सुदृढीकरण हेतु IRC: 37 के प्रावधानों को अपनाया गया था। प्रश्नगत मार्ग की CBR value दो से कम एवं MSA⁶ 10 था। CBR value एवं MSA के इस संयोजन के साथ प्रश्नगत मार्ग पर IRC: 37 के प्रावधानों के अनुसार 250 mm Wet mix macadam (WMM) एवं 460 mm Granular Sub base (GSB/RBM) बिछाया जाना था, परन्तु खण्ड द्वारा WMM 300 mm अर्थात् 50 mm मात्रा अधिक (**जबकि WMM एक मंहगा item है**) एवं GSB की 50 mm मात्रा कम (410 mm) Execute की गई। नियमानुसार यदि खंड द्वारा पेवमेंट डिजाइन हेतु अपनाई गयी IRC: 37-2001 के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया जाता तो ₹ 45.10 लाख⁷ की बचत की जा सकती थी। अभिलेखों से यह भी ज्ञात

⁶ Million standard excel (traffic census)

⁷ Value of 50 mm i.e. 8870.73 cum sub base course i.e. RBM, @ ₹1054/- = ₹ 93.50 lakh (where 8870.73 cum = 26881x6.6x 0.05 meter i.e. length x width x thickness provisioned for the item) value of 50 mm i.e. 7795.49

हुआ कि अपनाई गयी IRC: 37-2001 के प्रावधानों के अनुसार मार्ग पर DBM के साथ BC को lay किया जाना था जबकि SDBC को lay किया गया था जो की मानको के विपरीत था एवं इसके कारण कार्य की गुणवत्ता अधोमानक हो गयी थी, इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कार्य के अंतिम बिल के अनुसार व्यय ₹ 38.92 करोड़ हुआ था जबकि कार्य के फार्म 64 में व्यय ₹ 47.00 करोड़ दर्शाया जा रहा था ।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि पूर्व अनुबंध में WBM । 150 x 2 =300 mm का प्रावधान रखा गया गया था जिसके अनुरूप ही ठेकेदार को कार्य करना था, आगे बताया की स्वीकृती के अनुमन्य मार्गों के कई भागो में WMM का कार्य 300mm मोटाई में एवं GSB का कार्य 410 mm मोटाई में संपादित कराया जा चुका था ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि:

- प्रश्नगत मार्ग के लिए जो DPR बनाई गयी थी उसमे स्पस्ट था की IRC : 37-2001 के प्रावधानों को अपनाया गया था एवं मार्ग हेतु calculated CBR value एवं MSA के संयोजन के अनुसार मार्ग पर 250 mm thick WMM एवं 460 mm thick GSB बिछाया जाना था ।
- IRC :37-2001 के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य किये जाने का कोई कारण एवं औचित्य नहीं था । उक्त सड़क VR Category में वर्गीकृत थी । साथ ही कार्य की गुणवत्ता अधोमानक हो गयी थी एवं General Financial Rules के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करने के कारण ₹ 7.89 लाख का परिहार्य व्यय किया गया ।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
65/2016-17	प्रस्तर-1	प्रस्तर- 3,4

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
65/2016-17	भाग-दो (अ) प्रस्तर-1 भाग-2 (ब) प्रस्तर-1 प्रस्तर-2 प्रस्तर-3 प्रस्तर-4	Para uploaded निरस्त निरस्त यथावत यथावत	उत्तर प्रस्तुत नहीं है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- शून्य -

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ए.डी.बी. ,लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

2. सतत् अनियमितताएं:

Execution of work against the rule.

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार	08/2016 से वर्तमान तक

4.विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न खंडीय लेखाधिकारी खंड से संबद्ध रहे।

1. श्री रविशंकर मीणा
2. श्री मानस पाण्डे
- 3.श्री ओम प्रकाश 17/08/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/ए.डी.बी. ,लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक खण्ड-II